अपीलीय अधिकरण कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,जयपुर

पीठासीन अधिकारी प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस.

करण संख्या 20/2023 (वरिष्ठ नागरिक अपील)

ीमती सुमन पत्नी श्री अखिल जाति जांगिड निवासी 110 गणेश नगर, निवारू रोड, यपुर।

अपीलार्थी

बनाम

1. श्रीमती गीता देवी पत्नी स्व. श्री राघेश्याम जाति जांगिड निवासी प्लाट नम्बर 176, गणेश नगर, निवारू रोड, जयपुर ।
2. अखिल पुत्र स्व. श्री राघेश्याम जाति जांगिड निवासी प्लाट नम्बर 176, गणेश नगर, निवारू रोड, जयपुर ।

प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 16 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम–2007 विरूद्व आदेश दिनांक दिनांक 10.10.2022 उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण के प्रकरण संख्या 08/2022 व उनवानी श्रीमती गीता देवी बनाम अखिल व अन्य ।

ारी –

1. अपीलार्थी उपस्थित है।
2. प्रत्यर्थी संख्या एक उपस्थित है।

(कलक्टर) जिला जयपुर (राज.)

निर्णय दिनांक 10.08.2023

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के एस बी सिविल रिट पीटीशन नम्बर 16020/2022 आदेश दिनांक 01.05.2023 की पालना में अभिभावकों एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिकरण उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण के प्रकरण संख्या 08/2022 व उनवानी श्रीमती गीता देवी बनाम अखिल व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 10.10.2022 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 स्वयं उपस्थित है। अधीनस्थ अधिकरण से मिसल मातहत तलब की गई। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अपीलार्थिया व उसके प्रतिनिधि ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलार्थिया विपक्षी संख्या एक की पुत्रवधु तथा विपक्षी संख्या 2 की धर्मपत्नी है। विपक्षीगण मॉ बेटे ने मिल कर एक षडयंत्र कारित करते हुये अपीलार्थिया को घर से निकालने के लिए एक प्रार्थना पत्र अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी के समक्ष केवल मात्र मकान से बेदखल करने के लिये प्रस्तुत किया गया। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष एक प्रार्थना पत्र माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत प्रार्थना पत्र संख्या 8/20022 प्रस्तुत किया। अधीनस्थ अधिकरण ने प्रार्थिया प्रत्यर्थी संख्या 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुये अपीलार्थी व विपक्षी संख्या 2 को परिवार सहित एक माह के अन्दर मकान को खाली करने का आक्षेपित निर्णय पारित कर दिया अपीलार्थिया आक्षेपित आदेश दिनांक 10.10.2022 से व्यथित होकर एक अपील संख्या 24/2022 उनवानी श्रीमती सुमन बनाम गीता देवी व अन्य अपीलीय अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की गई थी जो दिनांक 18.10.2022 को क्षेत्राधिकार में नहीं होने से एडमीशन पर ही खारिज कर दी गई। अधीनस्थ अधिकरण के आदेश दिनाक 10.10.2022 से व्यथित होकर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर के समक्ष एक एस. बी. सिविल रिट याचिका संख्या 16020/2022 प्रस्तुत की गई। माननीय उच्च न्यायालय ने अपीलीय अधिकरण के समक्ष तीन माह के अन्दर अन्दर अपील प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। जिसकी पालना में अपीलार्थी द्वारा माननीय अपीलीय अधिकरण के समक्ष समयावधि में यह अपील प्रस्तुत की गई है। विपक्षी प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 ने एक दुर्भी संधी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुये न्यायिक प्रकिया का दुरूपयोग करते हुये झूंठा प्रार्थना पत्र विपक्षीगण ने परस्पर मिलिभगत कर अपीलार्थी के हितों पर कुठाराघात करने की बदनियति से पेश किया। अधीनस्थ अधिकरण ने न तो माननीय उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के निर्णयों का अवलोकन किया ना ही दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया एवं न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होकर निर्णय अधीनस्थ अधिकरण निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थी एक असहाय महिला है तथा इसके 10–11 वर्ष का एक छोटा बच्चा है। विपक्षीगण ने सोची समझी साजिश के तहत मॉ–बेटे को बेघर करने के लिये न्यायिक प्रकिया का दुरूपयोग करने के इरादे से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा अपीलार्थी के साथ अमानवीय व्यवहार विपक्षीगण द्वारा किया जाता है। न्यायालय कार्यपालक मजिस्ट्रेट एवं अतिरिक्त पुलिस अपायुक्त (मुख्यालय) जयपुर पश्चिम के समक्ष प्रकरण संख्या 858/2022 उनवानी सरकार बनाम गीता देवी व अन्य को निर्णय दिनांक 13.10.2022 के द्वारा 6 माह की अवधि के लिए परिशांति कायम रखने हेतु धारा 107, 116 दं. प्र. सं. में पाबन्द किया गया है । विवादित सम्पत्ति प्लाट नम्बर 110 गणेश नगर निवारू रोड जयपुर विपक्षीगण का 1/2 –1/2 हिस्सा था । विपक्षी प्रत्यर्थी संख्या 1 ने माननीय अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष प्रार्थना पत्र 28.10.2021 को प्रस्तुत किया । उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय में विराधीन के दौरान विपक्षी संख्या 2 ने विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में उपहार पत्र दिनांक 25.01.2022 को रजिस्टर्ड करवा दी गई। इस प्रकार विपक्षीगण ने दुर्भी संधी करके अपीलार्थी व उसके बच्चे को बेघर करने के

जिला मजिस्ट्रेट
जयपुर

नियत से माननीय अधिकरण को गुमराह करते हुये उक्त आक्षेपित आदेश पारित करवाया गया है जो खारिज किये जाने योग्य है। विपक्षीगण माँ व बेटे ने मिल कर षडयंत्र कारित करते हुये अपीलार्थी बहु को घर से निकालने के लिए यह प्रार्थना पत्र अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष केवल मात्र मकान से बेदखल करने के लिए प्रस्तुत किया गया था। विपक्षी संख्या 1 के द्वारा भरण पोषण राशि की मांग नही की गई है तथा विपक्षी संख्या 1 को पेंशन मिलती है तथा एक अन्य मकान संख्या 109 गणेश कालोनी निवारू रोड जयपुर विपक्षी संख्या 1 के नाम है। विपक्षी के मकान 109 व 110 गणेश नगर में दो मंजिला के बने हुये है तथा अपीलार्थी प्लाट संख्या 109 में नीचे की मंजिल पर निवास करती है तथा विपक्षीगण दूसरी मंजिल पर निवास करती है। विपक्षी संख्या 2 ने माननीय परिवारिक न्यायाधीश कम 1 जयपुर महानगर जयपुर के समक्ष एक तलाक याचिका संख्या 653/2022 उनवानी डॉ अखिल कुमार जांगिड बनाम श्रीमती सुमन प्रस्तुत किया गया है जो माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। विपक्षी संख्या 2 के विरूद्व अपीलार्थिया ने धारा 498 ए, 406 आई पी सी का मुकदमा दर्ज करवाया गया था जिसमें अनुसंधान अधिकारी द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय ने दिनांक 31.03.2023 को विपक्षी संख्या 2 के विरूद्व प्रसंज्ञान लिया है। प्रत्यर्थी संख्या 2 ने समस्त पुलिस कार्यवाही में भी स्वीकार किया है कि वह अपीलान्ट के साथ नहीं रहता है। प्रत्यर्थी संख्या 1 के साथ प्लाट संख्या 176 गणेश नगर निवारू रोड झोटवाडा जयपुर में रहता है। इन सभी दस्तावेजों बाबत अधीनस्थ अधिकरण ने अपने विधि विरूद्व आदेश में कोई विवेचना तक नहीं किया एवं विधि विरूद्व आदेश बेदखली का पारित किया है जो समेरिली निरस्त किये जाने योग्य है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा अभिभावको और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट के द्वारा माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिको के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत मकान खाली करवाने का उक्त अधिकरण को अधिकार है या नही उसके संबंध में अभी रेफरेन्स माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय डी बी के समक्ष विचाराधीन है तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के द्वारा एस बी सिविल रिट याचिका संख्या 1936/2020 उनवनी विनोद शर्मा बनाम श्रीमती शान्ति देवी वगैरह मे निर्णय दिनांक 21.02.2022 को पारित करते हुये मकान को खाली कराने के आक्षेपित आदेश को निरस्त फरमाया गया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष डिवीजन बैंच के समक्ष रेफरेन्स विचाराधीन है। इस प्रकार उपखण्ड अधिकारी द्वारा आक्षेपित आदेश विधि विरूद्व होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। अपीलान्ट ने विवाह के पश्चात सदैव पत्नी धर्म का पालन किया है, किन्तु प्रत्यर्थी सदैव ही दहेज के लोभी थे जिसका ज्ञान अपीलान्ट एवं अपीलान्ट के पिता को विवाह के पश्चात नाजायज रूप से दहेज की मांग के रूप में गाऊी, मकान व रूपयो की मांग करने पर अनुसंधान अधिकारी द्वारा विपक्षी संख्या 2 के विरूद्व आरोप पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपीलार्थिया के खिलाफ पारिवारिक न्यायालय कम 1 जयपुर में केस नम्बर 653/2022 में अपीलार्थिया के खिलाफ याचिका अन्तर्गत धारा 13 के तहत प्रस्तुत की है जिसके पैरा नम्बर 4 में अपनी पूर्व पत्नी स्व॰ सुमन जांगिड पुत्री कैलाश जांगिड निवासी जयपुर को दिनांक 22.01.2017 को हृदयघात से

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

आकस्मिक मृत्यु होना बताया है, किन्तु श्री अखिल जांगिड के द्वारा वर्तमान में अपनी मृतक पत्नी के दस्तावेज से फर्जी दस्तावेज (जन आधार कार्ड तैयार कर घर का मुखिया वर्तमान मे बताया है एवं उसकी वार्षिक आय भी घोषित की है) तैयार किये हे। अखिल कुमार स्वयं एक राजकीय कर्मचारी है जिसकी वर्तमान में अपीलार्थिया पत्नी है। अपीलार्थिया के विरूद्व महिला थाने पश्चिम आयुक्तालय जयपुर में भी मुकदमा नम्बर 230/2022 में धारा 498 ए, 406, 323, आई पी सी दिनांक 18.03.2023 के संबंध में दिनांक 31.03.2022 को न्यायालय में चालान पेश किया गया है जिसमें अखिल कुमार को जमानत पर रिहा किया गया है। उक्त प्रकरण में न्यायालय के समक्ष दुराचरण की रिपोट अवेलोकनार्थ प्रस्तुत है। अपीलार्थिया एक राजकीय कर्मचारी है। तथा वर्तमान में उदयपुर जिले में पदस्थापित है। अपीलार्थिया को विवाह के पश्चात से ही प्रत्यर्थी अखिल व उसकी माता गीता देवी के द्वारा जबरन अपीलार्थिया का सरकारी वेतन, अपने, अपने भान्जे एवं अखिल अपने आफिस के सहकर्मियों के खाते में लाखों रूपये हस्तान्तरित करता था तथा लाखों रूपये अपीलार्थिया के पीहर से भी हस्तान्तरित करवाये है। अतः अपीलार्थिया को शहत प्रदान करने व अपीलार्थिया व उसके पुत्र को घर से बेघर ना करने के आदेश किया जाना आवश्यक है। अपीलार्थी व उसके नाबालिग बच्चे को तंग व परेशान करने की नीयत से अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ अधिकरण द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.10.2020 को अपास्त किया जावे ।

प्रत्यर्थी संख्या एक व उसके प्रतिनिधि ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि रेस्पोडेन्ट एक वरिष्ठ एकल महिला है जिसके पति का देहान्त वर्ष 2003 में हो गया। प्रत्यर्थी संख्या 1 के मकान पर पुत्रवधु सुमन शर्मा ने जबरन ताला लगा कर कब्जा कर रखा है। मुझे मेरे मकान में नहीं रहने दे रही है। जब मै उक्त मकान में जाती हूं तो गाली गलौच एवं मारती है। उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण द्वारा उभय पक्ष को सुन कर विधिवत निर्णय पारित किया गया है जो न्योयोचित है, परन्तु अधीनस्थ अधिकरण से दिनांक 10.10.2022 के निर्णय होने के पश्चात भी अपीलार्थिया सुमन शर्मा ने मुझे घर में नहीं रहने दिया। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 22.11.2022 के पश्चात भी मुझे मेरे मकान में नहीं जाने देती है। जबरन मेरी मकान पर अन्य लोगों को रख रखा है। अतः प्रत्यर्थी संख्या 1 वृद्व महिला का अनुरोध है कि अपील खारिज की जाकर अधीनस्थ अधिकरण द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.10.2022 को यथावत रखने के आदेश फरमावें।

प्रत्यर्थी संख्या 2 ने प्रत्यर्थी संख्या एक के कथनों का समर्थन करते हुये दलील पेश की कि मैंने प्रश्नागत मकान खाली कर दिया है और वर्तमान में अन्यत्र रह रहा हूँ। केवल अपीलार्थिया ही प्रत्यर्थी संख्या एक श्रीमती गीता देवी के साथ उक्त मकान में निवास कर रही है।

उभय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं मिसल मातहत का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया ।

प्रत्यर्थी संख्या 2 अखिल शर्मा ने अपनी माता के पक्ष में गिफ्ट डीड कराई है जिसको निरस्त किये जाने क्षेत्राधिकार इस अपीलीय अधिकरण को नही है। वर्तमान में विवादित प्लाट नम्बर

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

110 गणेश नगर निवारू रोड जयपुर पूर्ण रूप से प्रत्यर्थी संख्या 1 श्रीमती गीता देवी के स्वामित्व की सम्पत्ति है। अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 2 आपस मे पति पत्नी है और दोनों ही राजकीय कर्मचारी है जो अपना व अपने बच्चों का भरण पोषण करने में सक्षम है। अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 2 के मध्य विभिन्न न्यायालयों में वाद लम्बित है। प्रत्यर्थी संख्या 1 को पेंशन मिलती है इसलिए भरण पोषण रशि की मांग नही की गई। अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष प्रत्यर्थी संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी संख्या 2 पुत्र व अपीलार्थिया पुत्रवधु से क्लेशकर होकर उनको मकान से बेदखल किये जाने का अनुतोष चाहा था। माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण नियम 2010 की धारा 20 (5) इस प्रकार है–" किसी वरिष्ठ नागरिक के जीवन या सम्पत्ति के किसी खतरे की दशा में जिला मजिस्ट्रेट या सम्यकरूप से प्राधिकृत उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी का ऐसे वरिष्ठ नागरिक के जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा करने का कर्तव्य होगा। " अधीनस्थ अधिकरण द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के तहत माता पिता या वरिष्ठ नागरिक की मांग पर पुत्र व पुत्रवधु को मकान से बेदखल करने का आदेश दिया जा सकता है। इस सम्बध में समय–समय पर माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी माता–पिता व वरिष्ठ नागरिक के पक्ष में निर्णय पारित किये गये है इसी के सन्दर्भ में अधीनस्थ अधिकरण द्वारा वृद्व महिला की सम्पत्ति की सुरक्षार्थ अपीलार्थिया सुमन शर्मा व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 अखिल शर्मा को एक माह के अन्दर अपने खर्चे पर विवादित मकान नम्बर 110 गणेश नगर निवारू रोड जयपुर को खाली कर प्रत्यर्थी संख्या एक गीता देवी को उनके स्वामित्व के मकान में पुर्नस्थापित कराने के आदेश दिये है, वह उचित है। जिसमें हम किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते है। फलस्वरूप अपील खारिज की जाती है।

आदेश की प्रति हस्ब कायदा धारा 16(7) के तहत उभय पक्षकारान को निः शुल्क भेजी जावे। आदेश की प्रति मय मिसल मातहत माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण एवं कल्याण अधिकरण उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर दक्षिण को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

निर्णय आज दिनांक 10.08.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner